रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022020-216283 CG-DL-E-20022020-216283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] No. 114] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/PHALGUNA 1, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

सा.का.नि.132(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 है।
 - (2) यह योजना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पैरा 12 के पश्चात निम्नलिखित पैरा को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"12ख. संराशीकरण प्रदान करने के मामलों में सामान्य पेंशन की पुन:बहाली. – इस योजना के तत्कालीन पैरा 12क के अधीन 25 सितम्बर, 2008 को या इससे पहले पेंशन संराशीकरण का लाभ प्राप्त कर चुके सदस्यों के संबंध में सामान्य पेंशन, ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुन:बहाल की जाएगी।"

[फा. सं. आर-15011/01/2019-एसएस-II(भाग)]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

1018 GI/2020 (1)

नोट: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 748(अ.) तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 285(अ.) तारीख 4 अप्रैल, 2019 द्वारा अन्तिम बार संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2020

- **G.S.R.132 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-
- 1. (l) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2020.
 - (2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, after paragraph 12, the following paragraph shall be inserted, namely:—
- "12B. Restoration to normal pension in cases of grant of commutation. The normal pension in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of this Scheme, on or before the 25th day of September, 2008, shall be restored after completion of fifteen years from the date of such commutation."

[F. No. R-15011/01/2019-SS-II (Pt.)]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was last amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 4th April, 2019.